न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
राजस्व वाद 104 / 2020 (2020 / 00326)

1. शंकर पुत्र रामलाल
2. सीताराम पुत्र रामलाल
3. भगवान पुत्र रामलाल
4. सवाईराम पुत्र रामलाल
5. सागर पुत्र रामलाल
6. श्रीराम पुत्र मनीराम
7. बदीलाल पुत्र हजारी
8. द्वारका पुत्र जवाना

सभी वयस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीगण सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर

9. फूला देवी पुत्री रामलाल पत्नि प्रहलाद उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार)निवासी सलारी तह.केकडी हाल निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रीमति दाखा पत्नि श्योजी
2. सोनाथ पुत्र श्योजी
3. कैलाश पुत्र श्योजी

समस्त जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीगण सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर

4. ग्यारसी पुत्री श्योजी पत्नि भवंरलाल उम्र व्यस्क जाति कुमावत निवासी सूरजपुरा तह. सावर
5. काली पुत्री श्योजी पत्नि कालूराम उम्र व्यस्क जाति कुमावत निवासी सूरजपुरा तह. सावर
6. हीरा पुत्री श्योजी पत्नि दुर्गालाल उम्र व्यस्क निवासी चांदथली तह.सावर जिला अजमेर
7. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.बैंक लि.शाखा केकडी जिला अजमेर
8. तहसीलदार केकडी तह.केकडी जिला अजमेर

---- अप्रार्थीगण

9. नन्दू पत्नि मनीराम उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर
10. रामी पुत्री मनीराम पत्नि रामा उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर
11. श्रीपाल पुत्र हजारी उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर
12. सीता पुत्री हजारी उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर
13. गुलाबी पत्नि जवाना उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार निवासी सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर
14. महावीर पुत्र जवाना जाति कुमावत निवासी सलारी तह.केकडी जिला अजमेर
15. इन्द्रा पुत्री जवाना पत्नि जगदीश उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी बालापुरा तहसील सावर जिला अजमेर
16. दुर्गा पुत्री जवाना पत्नि श्री रामप्रसाद उर्फ पप्पू उम्र व्यस्क जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी सूरजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर

---- प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री मिठूसिंह राठौड व अन्य – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रामअवतार मीणा ––– अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक 27.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इसप्रकार है कि प्रार्थीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,[illegible]88,92ए.209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया । वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2061–72 (अन्तिम चौसाला आधार) जमाबन्दी स. 2076 वर्ष 2019 में स्थायी के अनुसार आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:–

खेवट खतोनी स		खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
नयी	पुरानी			
503	448	1188	0.38	चाही 1
		1194	0.11	चाही 1
		1201	0.13 है.	चाही 1 जा.1
		2188	0.04	बारानी 1
		2189	3.06	बारानी 1
		2190	0.61	बारानी 1
		2200	0.61	बारानी 1
		2201	0.60	बारानी 1
		कुल किता 8	5.54 हैक्ट.	

प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात के पुराने ख.न. इस प्रकार है –

जमाबन्दी स. 2021–24 , जमाबन्दी स. 2025–28 व वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 के अनुसार खसरा नम्बर 637 रकबा 00.15.10 बीघा , ख.न. 644 रकबा 00.13.00 बीघा, ख.न. 652 रकबा 02–07–00 , ख.न. 779 रकबा 00.05.00, ख.न. 782 रकबा 30.03.10 बीघा है। प्रार्थीगण 1 लगायत 9 वअप्रार्थीगण स. 1 लगायत 6 व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण स. 9 लगायत 16 संयुक्त हिन्दु परिवार के संदस्य है तथा सह दायिकी है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

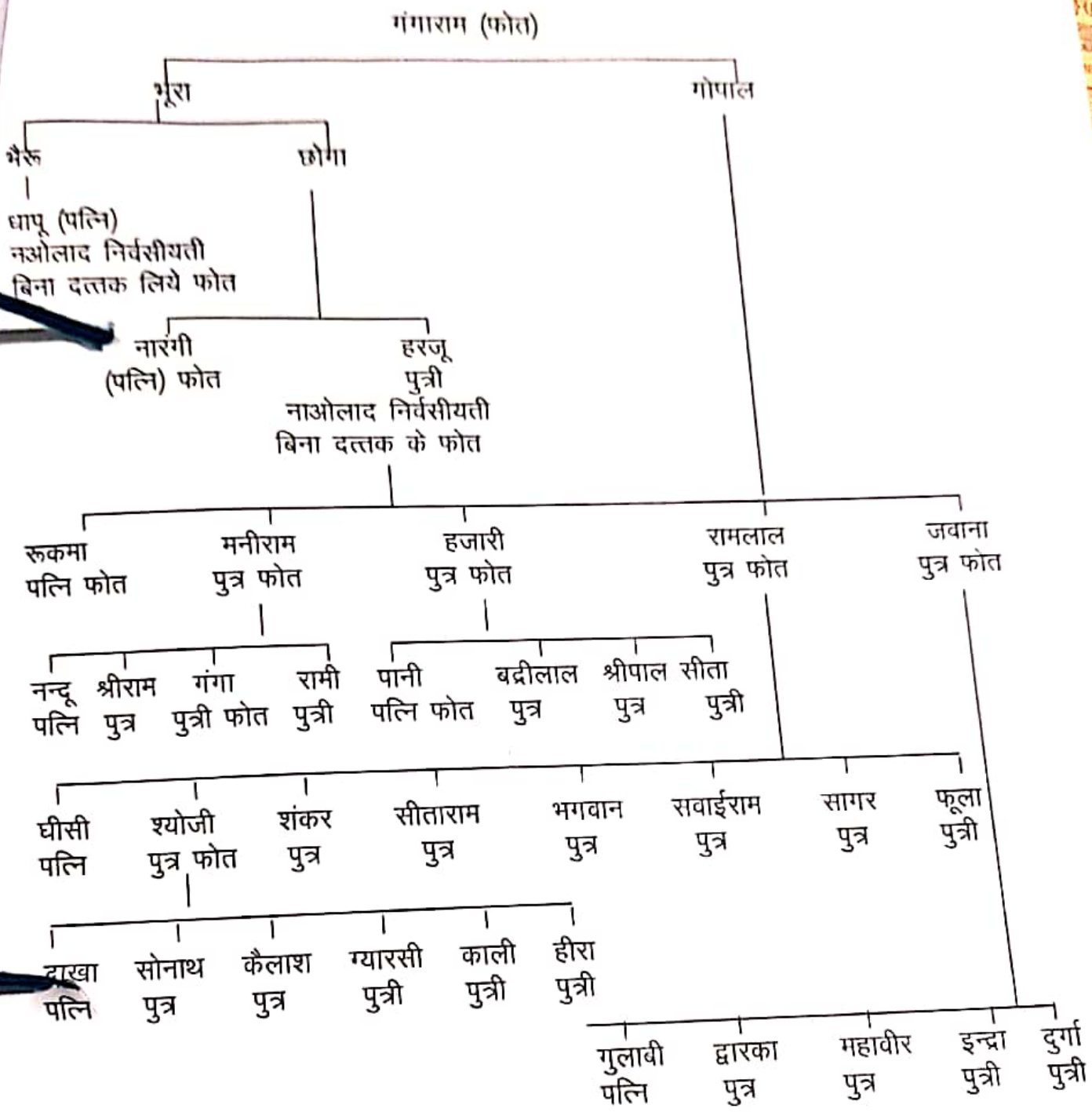

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व अप्रार्थीगणसंख्या 1 लगायत 6 व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण संख्या 9 लगायत 16 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसमें इनके अलावा दीगर व्यक्ति का कानूनन हक अधिकार नहीं है। भैरू पुत्र भूरा व उसकी पत्नि नाऔलाद निवरीयती बिना किसी को गोद लिये फोत हो चुकी है व भैरू का भाई छोगा व उसकी पत्नि नारंगी व पुत्री हरजू भी नाऔलाद निवसीयती बिना किसी को गोद लिये , तथा भैरू पुत्र भूरा प्रार्थीगण का दादाजी लगता है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 6 व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण स. 9 लगायत 16 स्वर्गीय भैरू पुत्र भूरा के काका गोपाल पुत्र गंगराम के पुत्र मनीराम , हजारी , रामलाल, जवाना की संतान है। तथा प्राथना पत्र में वर्णित आराजीयात भैरू पुत्र भूरा व उसकी पत्नि की मृत्यु के बाद से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1लगायत 6 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण स. 9 लगायत 16 के पितागण मनीराम , हजारी , रामलाल,जवाना के विरासत से संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है तथा इनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व अप्रार्थीगण स. 1 लगायात 6 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगणस. 9 लगायत 16 के संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त, स्वामित्व , व आधिपत्य में चली आ रही है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता श्योजी पिता रामलाल ने राजस्व कर्मचारियों अप्रार्थी स. 8 से मिलि भगत करके अपने नाम करवा ली है जो कि गलत है। जबकि स्व. भैरू पुत्र भूरा के नाम जमाबन्दी सं. 2024–28 में खातेदारी में दर्ज है। तथा स्व. भैरू पुत्र भूरा के वारिसान के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 व प्रफॉर्मा लगायत 16 है तथा इनके संयुक्त खातेदारी में पुश्तैनी चली आ रही है। तथा वाद वर्णित आराजीयात जो श्योजी पुत्र रामलाल के वर्तमान जमाबन्दी सं. 2069–72 में खातेदारी में गलत दर्ज है। अप्रार्थीस. 1 लगायत 6 ने प्रार्थीगण को दिनांक 5.10.2020 को आराजी से बेदखल करने व अन्य को बेचान करने की धमकी दी । अप्रार्थी स. 1 लगायत 6 के पिता श्योजी पुत्री रामलाल खातेदारी में गलत दर्ज था तथा उसके आधार पर श्योजी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण 1581 दिनांक 7.1.2020 को दर्ज करवा दिया जो कतई है। इसके आधार पर उनका किसी प्रकार का हक सृजित नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 6 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे एव न ही भूमि का रहन ,बेचान किसी प्रकार का अन्तरण नही करें। अप्रर्थी स. 8 को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन न करने के लिये पाबन्द किया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी स. 1 लगायात 6 की वैध कब्जेकाश्त व खातेदारी की है जिसपर प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी स. 1 लगायत 6 के पति /पिता श्री श्योजी वल्द रामलाल के एकमात्र वेध स्वामित्व व आधिपत्य की क्रयशुदा कृषि आराजी है। जिस पर प्रार्थी स. 1 लगायत 9 का कोई अधिकार नहीं है।काश्तकार भैरू पुत्र भूरा कुम्हार ने जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 27.2.1976 को 8000/– रूपये में क्रय कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया था। श्योजी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण नियमानुसार स्वीकृत हुआ है तथा उस पर के.सी . सी. ली गई है। जिसका नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु वादीगण स. 1, 2, 3, 4, 5, 7की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। फर्द दस्तावेज के साथ इकरारनामा बाबत राजीनामा की छायाप्रति पेश की । जिसमें बताया गया किराजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी में शकर वगै. बनाम दाखा वगै. में राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार प्रथम पक्ष वाद को न्यायालय से उठा लेंगें । तथा द्वितीय पक्ष भी सवाईराम के खिलाफ 379 आई.पी.सी. का मुकदमा थाने से उठा लेंगें। तथा श्योजी पुत्ररामलाल द्वारा खरीदी गई जमीन पर प्रथम पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में दोनों विवाद नहीं करेंगें अब तक के प्रकरणों लगा खर्चा अपना–अपना वहन करेंगें। जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली अन्तिम बसह में रखी गई ।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी का कथन है कि यह संपति पुश्तैनी है बिना साक्ष्य तय नहीं हो सकता है कि कयशुदा है या नहीं। इससे बहुवाद कार्यवाही का करना पडेगा मौके पर प्रार्थीगण के मकानात बने हुये है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी खुद की कयशुदा नहीं है। बल्कि पुश्तैनी है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत है।

अप्रार्थीगण के लायक वकील ने विर्तक प्रस्तुत करते हुये बताया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1976 वर्ष का हमारे पिता के नाम है। अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज होने के बाद विरासत का नामान्तकरण खुला है। जिससे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का कब्जा नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी 1976 में क्रय करने के बाद हमारे नाम है। किन्तु हमारे द्वारा अब तक विक्रय नहीं की है जो अब भी नहीं करेंगें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। वे अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु यथाः प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। जमाबन्दी संवत 2069–72 वाके ग्राम सलारी के खाता स. नया पुराना 503–448 में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। उनका प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अन्तिम निर्धारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद में बाद शहादत तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:41 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी,

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner